कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, प्रथम–तल, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल,दिनांक 09.05.2019

क्रमांक / एफ–1 / 2019 / 10–11 / 1432

प्रेषक :–

सुनील अग्रवाल, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– Diversion of 18.90 ha protected foprest land for extraction of Granite Mineral in Village Keshripur in favour of M/s D.G.Mineral Private Ltd. in Chattarpur District of MP

संदर्भः– भारत सरकार का पत्र क्रमांक / F-No. 6-MPC0023/2019-BHO/351 दिनांक 06.05.2019

----0----

उपरोक्त संदर्भित पत्र से आपके द्वारा 06 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। इस संबंध में आवेदक संस्था से आवश्यक 03 बिन्दुओं पर तथा वनमण्डलाधिकारी, छतरपुर से शेष बिन्दुओं पर जानकारी प्राप्त की गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी बिन्दुवार निम्नानुसार है :–

1. प्रस्तावित क्षेत्र छतरपुर वन मंडल के परिक्षेत्र लौंडी के कक्ष क्रमांक 703 में आता है। इस प्रकार प्रस्तावित क्षेत्र की वैधानिक स्थिति वन भूमि है।
2. आवेदक संस्था द्वारा प्रस्ताव में कास्ट बेनिफिट एनालिसिस भाग–1 में अपलोड कर दिया है। इस एनालिसिस की एक प्रति संलग्न है।
3. आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव में एफ.आर.ए. अंतिम स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
4. प्रस्तावित खदान के संबंध में वनमण्डलाधिकरी, छतरपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि यह पन्ना टाईगर रिजर्व से 37 कि.मी. की दूरी तथा केन घड़ियाल अभ्यारण्य से 17 कि.मी. की दूरी पर है।
5. प्रस्तावित क्षेत्र की 10 वर्ष की क्षतिपूर्ति वनीकरण की योजना भाग–2 में अतिरिक्त जानकारी में अपलोड कर दी गई है। क्षतिपूर्ति वनीकरण की संशोधित योजना की छायाप्रति संलग्न है।
6. इस संबंध में आवेदक संस्था द्वारा अवगत कराया है कि प्रस्तावित खदान तक मुख्य मार्ग से पहुंचने के लिये एक कच्चा रास्ता बना हुआ है। यह रास्ता लगभग 200 मीटर लम्बाई का है। सड़क की चौड़ाई 05 मीटर लेने पर 0.1 हेक्टेयर वन भूमि की आवश्यकता होगी। इस प्रस्ताव में आवेदक द्वारा 02 विकल्प निम्नानुसार प्रस्तावित किये गये हैं :–

   विकल्प–1 : प्रस्तावित खदान के लिये 18.9 हेक्टेयर वन भूमि तथा सड़क के लिये 0.1 हेक्टेयर मानते हुये कुल 19.00 हेक्टेयर की स्वीकृति दे दी जाये।

   विकल्प–2 : प्रस्तावित खदान के लिये 18.8 हेक्टेयर वन भूमि तथा सड़क के लिये 0.1 हेक्टेयर मानते हुये कुल 18.90 हेक्टेयर की स्वीकृति दे दी जाये।

इस संबंध में अनुरोध है कि उपरोक्त दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प को स्वीकृत करने पर विचार किया जा सकता है। यदि विकल्प–2 के अनुसार खदान का रकबा 0.1 हेक्टेयर कम भी कर दिया जाता है तो इससे खदान पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा तथा स्वीकृत माईनिंग प्लान के अनुसार कार्य किया जा सकेगा।

आवेदक संस्था द्वारा सभी प्रकार के विकल्पों की KML फाईल भाग–1 में अपलोड कर दी गई है। प्रथम KML फाईल में पूर्व में प्रस्तावित 18.9 हेक्टेयर रकबा दिखाया गया है। द्वितीय KML फाईल में 18.9 हेक्टेयर रकबा खदान हेतु तथा 0.1 हेक्टेयर रकबा सड़क हेतु दिखाया गया है। तृतीय KML फाईल में 18.8 हेक्टेयर रकबा खदान हेतु तथा 0.1 हेक्टेयर रकबा सड़क हेतु दिखाया गया है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

9/5/19

(सुनील अग्रवाल)

C:\Users\acer\Desktop\RO Office.doc